27/IV

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.　Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कोषाधिकारी जलेसर (एटा)

गायत्री देवी

ओइम्

मैं कि श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता निवासिनी बाजार कलाँ, जलेसर जिला एटा जो कि ट्रस्टकर्ता कहलायेगी ।

1. श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता सुपुत्र श्री रामलाल आर्य निवासी बड़ा बाजार जलेसर (एटा)

2. श्री राकेश गुप्ता सुपुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता बी०पी० 165 शालीमार बाग, दिल्ली 52 ।

3. श्रीमती सुधारानी पत्नी स्व० श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता नि० 5/44 मसूदाबाद, अलीगढ़ ।

4. श्री प्रमोद कुमार सुपुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता नि० रामपुर रोड निकट रोडवेज वर्कशाप, मुरादाबाद । 5. श्री उमेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री प्रेमप्रकाशगुप्ता नि० रामपुर रोड निकट रोडवेज बसस्टेण्ड वर्कशाप मुरादाबाद ।

6. श्री कृष्णगोपाल सुपुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता निवासी बड़ा बाजार जलेसर (एटा)

7. श्री विपिन बिहारी गुप्ता सुपुत्र श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता नि० 5/44 मसूदाबाद, अलीगढ़ । ट्रस्टीगण हैं ।

यह है कि श्रीमती गायत्रीदेवी ट्रस्टकर्ता अपनी स्वयं की धनराशि मु० 5000/- (पाँच हजार रुपया) से अपने पुत्र स्व० श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता की याद व स्मृति में एक धार्मिक व समाजिक ट्रस्ट बनाने की इच्छुक हूँ । जो कि मुझ ट्रस्टकर्ता द्वारा उपरोक्त धनराशि ट्रस्टीगणों को ट्रस्ट के प्रयोजन

गायत्री देवी

यह लेखपत्र स्टाम्प मूल्य रु० 1001/- का नं० 837

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री जय प्रकाश गुप्ता नि० बाजार किला जलेसर

[signature]

फीस 5000/- 15/11/86

गायत्री देवी

हक रजि०	फो० नकल	योग	कुल रकम
1000/-	20/-	1120/-	800

श्रीमती गायत्री देवी पत्नी जयप्रकाश गुप्ता

पेशा गृहस्थी निवासी बाजार किला जलेसर

पर० व तह० जलेसर जिला एटा ने यह

लेखपत्र आज दिनांक 23/XII/86 को समय

मध्याह्न बजे दिन कार्यालय सब रजिस्ट्रार

जलेसर में रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किया ।

[signature]

ह० सि०

गायत्री देवी 23-XII-86

जिसकी पहचान श्री जयप्रकाश गुप्ता पुत्र रामलाल नि० बाजार किला जलेसर

व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible] निवासी बाजार किला जलेसर

ह० सि०

[signature]

23-XII-86

लेख सुनकर व समझकर, लेखपत्र द्वारा के निष्पादन की व [illegible] प्राप्त हुआ बताते

गायत्री देवी [illegible]

ने किया ।

गायत्री देवी

Jai Prakash Gupta

Vijay [illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

कोषाधिकारी जलेसर (एटा)

हेतु प्रदान कर दी गयी है जो ट्रस्टीगणों ने स्वीकार कर ली है व ट्रस्ट के ट्रस्टी बनना स्वीकार कर लिया है तथा उक्त ट्रस्ट हेतु निम्न ट्रस्ट नामा निष्पादित किया जाता है :-

1. यह कि ट्रस्टकर्ता ने अपनी उक्त इच्छा के अनुरूप ट्रस्टकर्ता अपनी उपरोक्त धनराशि रु0 5000/- ।पाँच हजार रुपये। को सभी ट्रस्टीयों को ट्रस्ट के प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित इस दस्तावेज में दिये गये कार्यों वउद्देश्यों व प्रयोजनों हेतु प्रदान करदी गयी है ।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम "श्रीरामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट" जलेसर जिला एटा होगा ।

3. यह कि मुख्य कार्यालय जलेसर जिला एटा उ0प्र0 में होगा ।

4. यह कि मुझ ट्रस्टकर्ता पर अभी धन का अभाव है मैं ट्रस्टकर्ता अथवा अन्य ट्रस्टीगण भविष्य में जो भी चाहें, उक्त ट्रस्ट में योगदान करेंगे ।

5. यहकि ट्रस्ट का उद्देश्य धार्मिक व सामाजिक कार्यों को करना ही होगा अत: मुझ ट्रस्टकर्ता की इच्छा हैकि उक्त ट्रस्ट के अन्तर्गत मेरे पुत्र स्व0श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता की स्मृति में एक भव्य धर्मशाला का निर्माण हो तथा उक्त धर्मशाला सभी हिन्दू धर्मावलम्बियों के काम आवे तथा उसमें सामाजिक व धार्मिक आयोजन हों ।

838

... मूल्य रु० 100/- 837

... है।

13/12/86

गायत्री देवी

... जलेसर ...

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

6. यहकि ट्रस्टीगण उक्त धनराशि मु0 5000/- [पांच हजार रुपये] को यथा सम्भव सही प्रयोग करेंगे उसकी बढ़ोत्तरी करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट का सही व सुचारू रूप से प्रबन्धन व संचालन करेंगे तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति की सुरक्षा करेंगे ।

7. यहकि ट्रस्टकर्ता ने ट्रस्टीगणों में से श्री कृष्णगोपाल को प्रबन्धक ट्रस्टी व श्री विपिन बिहारी गुप्ता को सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी नियुक्त कर दियाहै।

8. यहकि उक्त ट्रस्ट की वार्षिक बैठक यथा सम्भव वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से 25 दिसम्बर को हुआ करेगी, जिसमें ट्रस्ट का पूर्ण हिसाब-किताब व प्रगति आख्या प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा तथा अगले वर्ष के लिए नये प्रबन्धक ट्रस्टी व सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी का निर्वाचन सभी ट्रस्टी सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से करेंगे।

9. यहकि ट्रस्ट का एक मीटिंग रजिस्टर होगा, जिस पर मीटिंग सभा की कार्यवाही लिखी जावेगी तथा उसमें उपस्थित ट्रस्टीगणों के उपस्थित होने के हस्ताक्षर होंगे। उक्त कार्यवाही रजिस्टर में प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी द्वारा लिखी जावेगी ।

10. यहकि किसी कार्य के विषय में ट्रस्टीगणों में मतभिन्नता हो तो बहुमत से उसका निर्णय होगा ।

838

100L 837

19/12/86

गायत्री देवी

10 Rs.

। 4 ।

11. यहकि यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्य में रुचि न ले तथा तीन वार्षिक मीटिंगों में लगातार अनुपस्थित रहे तो अन्य ट्रस्टीगणों को अधिकार होगा कि वह चौथी वार्षिक मीटिंग में उस ट्रस्टी को हटा कर उसके द्वारा नामित अथवा बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी को नियुक्ति करलें।

12. यहकि प्रबन्धक ट्रस्टीगण व सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी को उक्त ट्रस्ट के सर्वाधिकार सही व सुचारु प्रबन्धन के प्राप्त होंगे तथा एक वर्ष में एक हजार रुपये तक को धनराशि प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रेस्टी द्वारा अपने विवेक से व्यय को जा सकती है परन्तु उससे अधिक को धन-राशि व्यय करने हेतु ट्रस्ट को सभा में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा और यदि आपातस्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी द्वारा एक हजार से अधिक को धनराशि व्यय कर दी जाती है तो प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी ट्रस्ट को अगली बैठक में उक्त व्यय को सहमति प्राप्त करेगा ।

13. यहकि प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी का उत्तरदायित्व होगा कि वह ट्रस्ट को सम्पत्ति का सही व सुचारु प्रबन्धन करे तथा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार को हानि होने से सुरक्षित रखे । आय-व्यय का हिसाब रखे । ट्रस्ट के लिए सम्पत्ति खरीदें । ट्रस्ट की ओर से सभी कानूनी कार्यवाही करें ।

14. यहकि धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोल कर जमा करा दी जावेगी तथा प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक प्रबन्धक ट्रस्टी को उक्त खाते के संचालन का अधिकार प्राप्त होगा ।

040

मूल्य रु० 10/- 837

उप कोषाधिकारी

19/11/86

गायत्री देवी

5 RS
INDIA
पाँच रुपये
पाँच रुपये
सत्यमेव जयते
FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

15. यह कि किसी भी ट्रस्टी या प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा सहायक ट्रस्टी को ट्रस्ट की सम्पत्ति बेचने, रहन रखने या उस पर ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा ।

16. यह कि उक्त ट्रस्टीगण में से किसी ट्रस्टी की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा असमर्थता या दिवालिया होने अथवा अन्य कारणों से अयोग्य हो जाने पर स्थान रिक्त हो जावे तो उसकी रिक्त पूर्ति को ट्रस्टकर्ता अपने जीवन काल में अन्य किसी ट्रस्टी की नियुक्ति द्वारा भी भर सकेगी और ट्रस्टकर्ता की मृत्यु उपरांत उक्त दशा में मृतक ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति मृतक ट्रस्टी का स्थान लेगा अन्यथा उक्त मृतक ट्रस्टी की पत्नी या पुरुष सन्तानों में से बड़ी सन्तान या अन्य सन्तानों की सहमति से किसी एक सन्तान को मृतक ट्रस्टी का उत्तराधिकार मिलेगा तथा यदि मृतक ट्रस्टी की कोई पुरुष संतान नहीं है तो यह व्यवस्था महिला संतान पर भी उसी संतान के जीवन काल तक लागू रहेगी । (यानी महिला सन्तान श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता के किसी पुरुष वंशज को नामित कर सकती है)

17. यहकि यदि किसी कारण से किसी ट्रस्टी की अकस्मात मृत्यु होने की दशा में, नोमीनी न होने की दशा में, रिक्ती ट्रस्टकर्ता की मृत्युपरांत होती है तो शेष ट्रस्टीगणों द्वारा विचार विमर्श उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त कर दिया जावेगा ।

गायत्री देवी

841

... मूल्य रु० 5/- 837

... हैं।

उप कोषाधिकारी, ...

19/12/86

1Re

(6)

परन्तु सभी दशाओं में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि उक्त ट्रेस्ट का ट्रस्टी श्री प्रेमप्रकाश गुप्ताके वंशजों में से ही होगा (यथा उनकी पुत्रवधू, पुत्र, पौत्र तथा उनके उत्तराधिकारीगण) अन्य कोई व्यक्ति किसी भी दशा में उक्त ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं होगा ।

अत: यह ट्रस्टनामा आज दिनांक: 23-12-1996 को स्थान जलेसर में निष्पादित कर दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे ।

गायत्री देवी

साक्षीगण:-

ह0

1. श्री अजयकुमार गुप्ता
   पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता,
   बाजार कलाँ, जलेसर (एटा)

ह0

2. श्री जयप्रकाश गुप्ता
   पुत्र श्री रामलाल जी आर्य,
   बाजार कलाँ, जलेसर (एटा)

Jaiprakash Gupta

330 / 23-12-96

23-12-96

को फोटो स्टेट प्रति

12

33/44 ... 4

27

उप निबन्धक

जलेसर

10/15

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS

मैं कि श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री प्रेमप्रकाशगुप्ता निवासी बाजार कलॉं कस्बा जलेसर की हूँ। विदित हो कि मुझ मुकिर ने दि० 23.12-96 को जरिये पंजीकृत ट्रस्ट पत्र के एक ट्रस्ट का गठन किया है। जिसका पंजीयन कार्यालय उपनिबंधक जलेसर में दि० 23.12-96 को फोटो स्टेट प्रति पुस्तक सं. IV खण्ड सं. 8 के पृष्ठ 33/48 में नं. 26 पर हुआ है और जिसके ट्रस्टीगण प्रेम प्रकाश गुप्ता आदि हैं। इस ट्रस्टपत्र में टाईपिंग भूल से पृष्ठ 2 पर पैरा 5 में सभी जनता की जगह पर सभी हिन्दू धर्मावलम्बियों गलत टाइप हो गया है जबकि सभी जनता होना चाहिए और जिस गलती का शुद्ध होना जरूरी है

गायत्री देवी

२८५

15-4-97

राजीव कुमार स्टा० विक्रेता
ला० नं० 8
तहसील जलेसर (एटा)

श्रीमती गायत्री देवी

शुल्क रजि०	प्रतिलिपि शुल्क	योग	कुल रकम
1001	204	1205	

श्रीमती गायत्री देवी

निवासी

तह० जलेसर जिला एटा ने यह

लेखपत्र आज दिनांक 15-4-97 को समय

मध्य 4 बजे दिन कार्यालय सब रजिस्ट्रार

जलेसर में रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किया

गायत्री देवी

ह० सब रजिस्ट्रार

15-4-97

निष्पादन व प्रतिफल ... की पुष्टि

लेखपत्र के निष्पादन ...

... उक्त की गई

गायत्री देवी द्वारा

स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री प्रदीप कुमार

निवासी

व श्री

निवासी

ने की।

ह० सब रजिस्ट्रार

15-4-97

Pradeep Kumar

गायत्री देवी

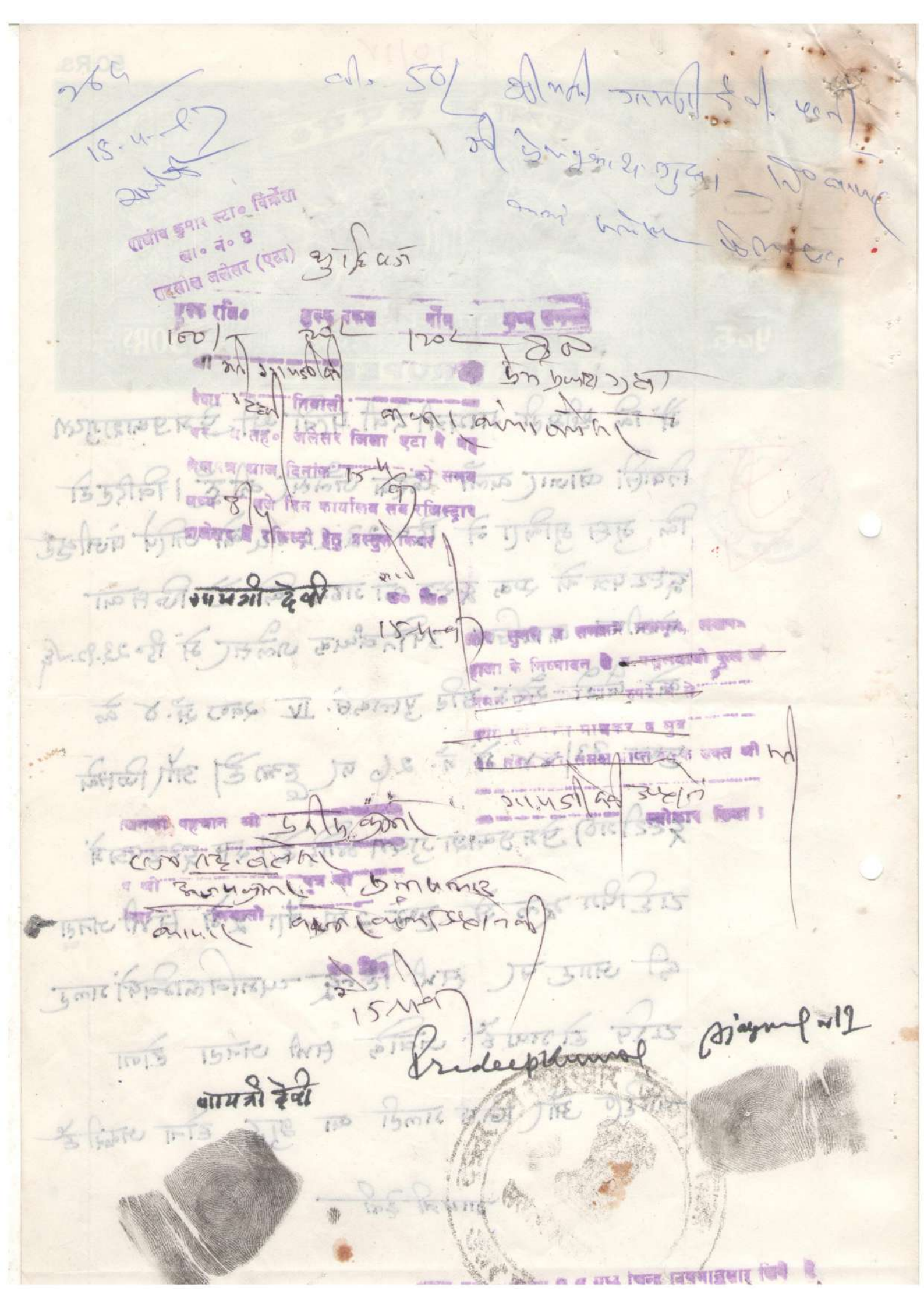

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रू.

50RS

FIFTY RUPEES

(2)

अतः मैंने अपने मन व बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिला किसी जब्र व दबाव व बहकाव के स्वेच्छा से यह शुद्धिपत्र तहरीर करदिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

गायत्री देवी

साक्षी. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री रघुवीरसरन गुप्ता निवासी मु० बाजारकलाँ कस्बा जलेसर

राजेन्द्रप्रसाद

साक्षी. अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुभाषचन्द गुप्ता निवासी बाजारकलाँ कस्बा जलेसर

Ajay Kumar Gupta

तहरीरता० १५.४.०६

लेखक प्रदीप कुमार

215
15.5.97

राजीव कुमार स्टा० विक्रेता
ला० नं० 8
तहसील जलेसर (एटा)

15-5-97

पुस्तक सं०... IV ...के खण्ड संख्या... 4 ...
के पृष्ठ सं० 103/108 10
पर रजिस्ट्रीकृत

उप निबन्धक
जलेसर

सेवामें,

श्रीमान उपनिबन्धक महोदय,

जलेसर, जिला एटा।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि ट्रस्ट [श्री रामलाल आर्य धर्मार्थ ट्रस्ट जलेसर, एटा] जो आपके यहां दिनांक 23-12-96 को पंजीकृत हुई थी, का उद्देश्य धार्मिक व सामाजिक कार्यों को करना था। में "शिक्षा का प्रचार प्रसार" भी सम्मिलित कर लिया जावे। यह पास कर दिया गया है। जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि एक प्रति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

दिनांक- 5-6-2003,

प्रार्थी / सं. प्रबन्धक

विपिन बिहारी गुप्ता

पुत्र श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता

नि0 - बड़ा बाजार, जलेसर

Vipin Bihari Gupta

ATTESTED

मां गायत्री आर्य कन्या महा विद्यालय

प्रबन्धक/सचिव

प्रति प्राप्त

उपनिबन्धक

5-6-03

उप रजिस्ट्रार

जलेसर

मां गायत्री आर्य कन्या महा विद्यालय

प्रबन्धक/सचिव

सचिव

मां गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय

जलेसर (एटा)

सचिव

माँ गायत्री आर्य कन्या महाविद्यालय

जलेसर (एटा)